विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2023 के 2-शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
6- (क)	क्या उप मुख्य मंत्री(ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना संचालित है?	जी हाँ।
(ख)	यदि हां, तो उक्त योजना के तहत कितने रोजगार कार्ड जारी किये गये है?	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वेबसाइट के एम0आई0एस0 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 2.13 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए हैं।
(ग)	क्या रोजगार कार्ड धारक श्रमिकों को रोजगार मांगने के 15 दिन के भीतर रोजगार दिया जाना अनिवार्य है?	जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत निर्गत वार्षिक मास्टर परिपत्र 2021-22 के अध्याय-4, के पैरा-11, अनुसूची-1 में यह प्राविधान निहित है कि "कार्य की मांग की पंजीकरण की तारीख या अग्रिम आवेदनों के मामले में जिस तारीख को कार्य की मांग की गयी है, इसमें से जो भी बाद का हो, उस तारीख से 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।"
(घ)	यदि हॉ, तो दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 17 जनवरी 2023 के मध्य कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया है?	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 17 जनवरी, 2023 के मध्य कुल 131328 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
(ङ)	क्या रोजगार न मिलने वाले श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था है?	जी हाँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

गारंटी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत निर्गत वार्षिक मास्टर परिपत्र 2021-22 के अध्याय-5, के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा की धारा-7(1) में यह प्राविधान निहित है कि "यदि योजना के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को, नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इसमें से जो भी बाद में हो, पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह इस धारा के अनुसार एक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।"

(च) यदि हॉ, तो दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 17 जनवरी, 2023 के मध्य रोजगार न मिलने वाले श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है?

जी नहीं,

इस संबंध में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्टेट नोडल एकाउण्ट माड्यूल लागू किये जाने के कारण बेरोजगारी भत्ते की धनराशि जमा करने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। जिसके क्रम में बेरोजगारी भत्ते की धनराशि भुगतान हेतु पृथक से खाता खोले जाने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.12.2022 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार खाता खोले जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 28-02-2023 निर्गत कर दिया गया है।

(छ) यदि नहीं, तो क्यों?

उपरोक्तानुसार।

केशव प्रसाद मौर्य
उप मुख्यमंत्री।